

**कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)**

क्रमांक: 50

दिनांक: 29-8-23

**//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश//**

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ स्नेहा जाखर आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा माह-सितम्बर, 2023 में पडने वाले अवकाशों के दिन दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा, रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्य) की सुनवाई हेतु निम्न पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम न्यायिक अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01	छवि सिंघल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा जिला-दौसा	03.09.2023
02	प्रीति सिंह	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 लालसोट, जिला- दौसा	07.09.2023
03	रूपल अग्रवाल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय, जिला-दौसा	09.09.2023
04	निधि शर्मा द्वितीय	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई, जिला-दौसा	10.09.2023
05	मनोरमा मीना	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय दौसा	17.09.2023
06	प्रीति चौधरी	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला-दौसा	19.09.2023
<b>स्थानीय अवकाश</b>			
07	निधि शर्मा द्वितीय	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई, जिला-दौसा	23.09.2023
08	मनोज कुमार	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा दौसा	24.09.2023
09	पुनीत सोनगरा	प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा	25.09.2023
10	प्रीति चौधरी	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला-दौसा	28.09.2023

\* माह सितम्बर, 2023 में पडने वाले सभी राजकीय अवकाशों में प्रोटोकॉल का कार्य करने के लिए श्री गजपाल सिंह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 दौसा को अधिकृत किया जाता है। यदि किसी कारणवश श्री गजपाल सिंह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 दौसा प्रोटोकॉल कार्य करने हेतु अस्मर्थ रहते हैं तो इस सम्बन्ध में पूर्व में लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा को देंगे। श्री गजपाल सिंह आर.जे.एस. की अनुपस्थिति में ईशा सांघी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा तथा इनकी अनुपस्थिति में श्रीमती रेखा तिवारी, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, दौसा प्रोटोकॉल का कार्य सम्पादित करेंगी। सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी इस कार्यालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय परित्याग करेंगे।\*

**निर्देश:-**01- अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 11.30 ए.एम. से 02.00 पी.एम. तक रहेगा। कोविड-19 संबंधी समस्त गाइड लाइन की पालना कर्तव्य निष्पादन में सुनिश्चित की जावेगी।

02--विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जाये तथा मुलजिम को पेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

03--अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

04--यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किये गये थे।

05--नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे। उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर "रिमाण्ड ड्यूटी अधिकृत अधिकारी" मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

(स्नेहा जाखड़)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- १२७१

दिनांक:- १९-८-२३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01-- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02-- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 03-- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री .....
- 04-- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 05-- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 06-- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 07-- सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 08-- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 09-- जिला कारागृह दौसा
- 10-- सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- 11-- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

(स्नेहा जाखड़)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
दौसा, जिला-दौसा (राज.)